न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 103/2018

अनवान :

1. सन्तोष पत्नी स्व0 रामकुमार जाति गुरडा निवासी डाबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. दर्शना देवी पुत्री रामकुमार गुरडा निवासी डाबडी तहसील भादरा।
2. शारदा पुत्री रामकुमार गुरड़ा निवासी डाबडी तहसील भादरा।
3. शर्मिला उर्फ कविता पुत्री रामकुमार गुरडा निवासी डाबडी तहसील भादरा।
4. सुमन पुत्री रामकुमार गुरडा निवासी डाबडी तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र शर्मा : **वादी**

वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : **प्रतिवादी सं0 1 ता 4**

निर्णय **दिनांक :** 20-8-18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डाबडी के वर्तमान खाता सं0 314/432 के खसरा सं0 255/2 की 1.071 है0, खसरा सं0 538 की 0.860 है0 कुल किता 2 की 1.931 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि वादिया एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदारी दर्ज है।

वादभूमि पहले वादिया के पति रामकुमार वल्द अमीचन्द गुरडा के नाम खातेदारी हुआ करती थी। वादिया के पति रामकुमार के देहान्त होने पर उक्त भूमि वादिया एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में प्राप्त हो गई थी तथा वादिया के पति के देहान्त होने के उपरान्त उनके बाहरवें की रश्म वाले दिन ही प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादिया के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था तथा कुल भूमि वादिया को प्राप्त हो गई थी तथा कुल भूमि पर वादिया की ही कब्जा काश्त चली आ रही है तथा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 अपने अपने ससुराल में आबाद है, परन्तु विरासतन इन्तकाल वादिया के साथ साथ प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के भी नाम दर्ज कर दिया गया जिससे वादिया के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनु.)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादिया व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया है जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 5 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादिया में पीडब्ल्यु 1 संतोष के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम डाबडी खाता सं0 314/432 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, चित्रप्रति वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 2ए, चित्रप्रति प्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादिया सुनी गई। दौराने बहस वकील वादिया ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादभूमि पहले वादिया के पति रामकुमार वल्द अमीचन्द गुरडा के नाम खातेदारी हुआ करती थी। रामकुमार के देहान्त होने पर उक्त भूमि वादिया एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में प्राप्त हो गई थी। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादिया के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादिया डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादिया ने ग्राम डाबडी के राजस्व रिकार्ड में अपने व अपनी पुत्रियां के नाम दर्ज भूमि में उनके द्वारा हक त्याग किये जाने के चलते अपने नाम घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादिया ने दावा में वादभूमि पहले वादिया के पति रामकुमार वल्द अमीचन्द गुरडा की खातेदारी होना व उनकी मृत्यु के बाद वादिया व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के नाम विरासतन दर्ज होना व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 द्वारा वादिया के नाम हक हिस्सा त्याग किया जाना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादिया ने जो सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम डाबडी खाता सं0 314/432 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1 व चित्रप्रति प्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाई है उक्त जमाबन्दी में पुर्व की प्रविष्टी वादिया के पति रामकुमार के नाम की दर्ज है व रामकुमार की मृत्यु के बाद जरिये इन्तकाल सं0 2364 से विरासतन वादिया व उसकी पुत्रियों के नाम दर्ज होना साबित है तथा चित्रप्रति वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 2ए से रामकुमार के जायज वारिसान में पत्नि सन्तोष व चार पुत्रियां दर्शना देवी, शारदा, शर्मिला, सुमन होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है एवं वादिया एवं प्रतिवादीयागण सं0 1 ता 4 के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। मुताबिक राजीनामा प्रतिवादियागण सं0 1 ता 4 ने अपनी माता वादिया सन्तोष के पक्ष में अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि त्याग कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादिया साबित है।

अत : वाद वादिया साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डाबडी के वर्तमान खाता सं0 314/432 के खसरा सं0 255/2 की 1.071 है0, खसरा सं0 538 की 0.860 है0 कुल किता 2 की 1.

931 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि वादिया एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदारी दर्ज है से प्रतिवादियागण सं0 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त कृषि भूमि की वादिया तन्हा खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादियागण सं0 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादिया के पक्ष में त्याग दी है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादिया सन्तोष के नाम तन्हा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.8.18..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 103/2018

अनवान :

1. सन्तोष पत्नी स्व0 रामकुमार जाति गुरडा निवासी डाबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. दर्शना देवी पुत्री रामकुमार गुरडा निवासी डाबडी तहसील भादरा।
2. शारदा पुत्री रामकुमार गुरड़ा निवासी डाबडी तहसील भादरा।
3. शर्मिला उर्फ कविता पुत्री रामकुमार गुरडा निवासी डाबडी तहसील भादरा।
4. सुमन पुत्री रामकुमार गुरडा निवासी डाबडी तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादिया श्री नरेन्द्र शर्मा एवं वकील प्रतिवादियागण सं0 1 ता 4 श्री मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादिया साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डाबडी के वर्तमान खाता सं0 314/432 के खसरा सं0 255/2 की 1.071 है0, खसरा सं0 538 की 0.860 है0 कुल किता 2 की 1.931 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि वादिया एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदारी दर्ज है से प्रतिवादियागण सं0 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त कृषि भूमि की वादिया तन्हा खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादियागण सं0 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादिया के पक्ष में त्याग दी है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादिया सन्तोष के नाम तन्हा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.8.18..... को मेरे हस्तक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़